

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 50/2021

तारीख रजू 10.02.2021

गोरधन पुत्र बंशी जाति मीना निवासी खण्डेवला तह०खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 16.07.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 11/2020 में पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 475/9 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेटोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आराजी खसरा नम्बर 475/9 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है जबकि अपीलान्त की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पास में स्थित है। प्रार्थी का विवादित भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी अपीलान्त को सुनवाई व सबुत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है व एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि पश्चातवर्ती के सम्बन्ध अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं होने से अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




वकील पेशकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त की गयी है। जहाँ तक पश्चातवर्ती अतिचारी का प्रश्न है तो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का के बयान है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी साबित है। यदि अपीलान्त की सजा माफ की जाती है तो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को बड़ावा मिलेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अनियमितता/अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलान्त को स्वयं को नोटिस की तामील करायी गयी अपीलान्त बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 27.01.2021 को उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नहीं दिया गया है मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं होने का प्रश्न है तो पश्चातवर्ती के सम्बन्ध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट एवं हल्का पटवारी के बयान शामिल है जिससे अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी साबित है। अपीलान्त द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर